



भाकृअनुप-भारतीय जल प्रबंधन संस्थान

Indian Institute of Water Management

पोस्ट ऑफिस - रेल विहार, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओड़ीशा-751023

Post Office- Rail Vihar, Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Odisha-751023

ईमेल/Email: director.iiwm@icar.gov.in बसाइट /website: www.iiwm.res.in

फैक्स/Fax: 0674-2301651 दूरभाष/Tel: 0674-2300060 (निदेशक)

ईपीएबीएक्स/EPABX:-2300010/2300016/1200481/2301815

यह संस्थान सदैव हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है ताकि राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिल सके।



सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वप्रमाणित के लिए प्रपत्र

Proforma for self-certification by the Government employee

- 01 मैं, डॉ./श्री/श्रीमती/कुमार/कुमारी.....(सरकारी कर्मचारी का नाम) इस बात की पुष्टि करना चाहता/चाहती हूँ कि मैं(यात्रा की तारीखें) के दौरान (यात्रा का स्थान) जाने के लिए ब्लॉक वर्ष के लिए स्वयं / परिवार के सदस्य के संबंध में एलटीसी.....(गृह नगर/ भारत के किसी भी स्थान) का लाभ उठा रहा/रही हूँ। यह कहा जाता है कि मैं या परिवार के सदस्य जिनके लिए मैं एलटीसी का लाभ उठाना चाहता / चाहती हूँ, वर्तमान ब्लॉक में पहले कभी भी इसका लाभ नहीं उठाया है।/I, Dr./Sh./Smt./Kr (Name of the Govt. Servant) wish to confirm that I am availing(Home Town/Any Place in India) LTC in respect of self/family member(s) for the block year to visit (Place of visit) during (dates of journey). It is stated that I or the family member for whom I wish to avail LTC has/have not availed of the same before in the present block.
02. परिवार के सदस्यों का विवरण जिनके संबंध में एलटीसी का दावा किया जा रहा है, निम्नानुसार है।/The Particulars of members of family in respect of whom the Leave Travel Concession is being claimed are as under:

क्र.सं./ Sl. No	नाम/ Name(s)	आयु/Age	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध/Relationship with the Govt. Servant

03. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य सत्य हैं और कोई भी गलत विवरण मुझे सीसीएस (एलटीसी), 1988 के नियम 16 और प्रासंगिक अनुशासनात्मक नियमों के तहत उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगा। / It is certified that the above facts are true and any false statement shall make me liable for appropriate action under Rule 16 of CCS(LTC) Rules, 1988 and the relevant disciplinary rules.

कर्मचारी का हस्ताक्षर/Signature of the Employee

- * कृपया ध्यान दें/N.B.: सरकारी कर्मचारी एक उपयुक्त मंच पर एलटीसी का लाभ उठाते हुए, यात्रा की दिलचस्प अंतर्दृष्टि और गंतव्य की तस्वीरें साझा कर सकते हैं, यदि कोई हो तो। / Government Employee may share interesting insights and pictures, if any, of the destination visited while availing LTC on an appropriate forum.

*हिन्दी का प्रयोग करते समय शब्दों के लिए अटकिए नहीं, शैली के लिए रुकिए नहीं, अशुद्धियों से घबराइए नहीं, निन्दा से डरिए नहीं, अभ्यास से झिझकिए नहीं बल्कि अपने रुचियों को नियमित बढ़ाते रहिए ताकि "हिन्दी में कार्य अत्यन्त सरल हो सके"